न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 18/2023
अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. रायसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र चैनाराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल

निर्णय दिनांकः 27/05/2024

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चक 11 बारानी के खाता संख्या 235 की कुल 10.4100 हैक्ट भूमि संयुक्त खाते की भूमि राजस्व रिकार्ड में कुरड़ाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, फुलाराम पुत्र बींझाराम जाति जाट व रायसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र चैनाराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर के नाम दर्ज है उक्त भूमि के प0न0 381/450 मु0न0 97 के कि0न0 3 व 5 में मौके पर हरे खेजड़ी के कुल 05 पेड़ बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति काटने बाबत शिकायत प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु पटवार हल्का उज्जलवास को लिखा गया मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट रोही मौजा ग्राम चक 11 बारानी के खाता संख्या 235 के प0न0 381/450 मु0न0 97 के किला न0 3, 5 में मौके पर हरे खेजड़ी के कुल 5 पेड़ रामसिंह उर्फ रायसिंह जाति जाट व बंशीलाल पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास द्वारा उक्त पेड़ो को काटा गया है। प0न0 381/450 मु0न0 97 के किला न0 3, 5 में मौके पर हरे खेजड़ी के कुल 5 पेड दलिप कुमार पुत्र मनीराम सहु जाति जाट साकिन उज्जलवास की सुपुर्दगी में दिये गये है। सुपुर्दगीकार को पेड़ खुर्द बुर्द न हो की हिदायत दी गई।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा 5 हरे पेड़ काटे गये है के विरूद्ध भारी से भारी जुर्माना एवं मौके पर पड़े 5 पेड़ों की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता [illegible] पेश कर निवेदन किया की उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी[illegible] नहीं काटा गया है सिर्फ भूमि सुधार के लिए कंटिली झाड़ीया काटी गई है तथा भूमि सुधार हेतु पेड़ों की छंगाई [illegible] है। अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 मेहनती व किसान पेशा व्यक्ति है जिसने किसी प्रकार का पेड़ नही काटा है सिर्फ भूमि सुधार के लिए पेड़ो की छंगाई व झाड़िया काटी है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का गहराई से अध्ययन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों एवं पटवार हल्का उज्जलवास की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोही मौजा ग्राम चक 11 बारानी के खाता संख्या 235 के प0न0 381/450 मु0न0 97 के किला न0 3, 5 में मौके पर हरे खेजड़ी के कुल 5 पेड़ काटे गये है। बिना स्वीकृति के हरे पेड़ काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर अप्रार्थी स0 1 को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थी स0 1 उक्त 05 पेड़ों की राशि 500/– (अखरे पांच सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 10 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:34 IST
Reason: SelfAttested